भारत सरकार
संचार एवम सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय
दूरसंचार विभाग
वी ए एस सेल, संचार भवन
20, अशोक रोड, नई दिल्ली-110001.

सं. 800-81/2006-सीएस

दिनांक 27-12-2007

विषयः- ग्लोबल मोबाइल पर्सनल कम्यूनिकेशन बाई सेटलाइट (जीएमपीसीएस) लाइसेंस करार की सुरक्षा संबंधी शर्तों में संशोधन

....

जीएमपीसीएस लाइसेंस करार के खण्ड 5.1 के अनुसरण में अन्य बातों के साथ-साथ जनहित में अथवा राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में अथवा सेवा के समुचित संचालन हेतु लाइसेंस के निबंधन एवम् शर्तों को किसी भी समय संशोधित करने का अधिकार सुरक्षित रखते हुए लाइसेंसदाता एतद्द्वारा जीएमपीसीएस लाइसेंस करार की निबंधन और शर्तों को तत्काल प्रभाव से निम्नानुसार संशोधित करते हैः-

सुरक्षा शर्त की संख्या	मौजूदा सुरक्षा शर्त	संशोधित सुरक्षा शर्त
41.1	जीएमपीसीएस गेटवे, जो भारत में अवस्थित हो, का प्रचालन और अनुरक्षण विदेश संचार निगम लि. अथवा इस प्रयोजनार्थ सरकार द्वारा प्राधिकृत एजेन्सी के सुपुर्द किया जाना होगा। लाइसेंसधारक को भारत में प्रचालन कार्य शुरू करने के पूर्व लाइसेंसदाता के समक्ष अथवा उसके प्रतिनिधि के समक्ष अनुश्रवण को शामित करते हुए सुरक्षा पहलुओं के संबंध में प्रणाली क्षमताओं का प्रदर्शन करना होगा।	जीएमपीसीएस भू आधारित उपग्रह लिंक स्टेशन, जिसे इसके बाद गेटवे कहा गया है, जो भारत में अवस्थित होगा, का प्रचालन और अनुरक्षण लाइसेंसधारक अथवा इस प्रयोजनार्थ सरकार द्वारा प्राधिकृत एजेन्सी को सौंपना होगा। लाइसेंसधारक को भारत में प्रचालन कार्य शुरू करने के पूर्व लाइसेंसदाता के समक्ष अथवा लाइसेंसदाता के प्रतिनिधि के समक्ष अनुश्रवण को शामिल करते हुए सुरक्षा पहलूओं के संबंध में प्रणाली क्षमताओं का प्रदर्शन करना होगा।
41.9	लाइसेंसधारक विस्तृत तकनीकी सुरक्षा/जांच हेतु सरकार द्वारा नियुक्त प्राधिकृत एजेन्सियों की मांग पर गेटवे रूटों इत्यादि की पूर्ण अभिगम्यता उपलब्ध कराएगा। लाइसेंसधारक विध्वंसक, तोड़-फोड, जासूसी कार्य अथवा गतिविधि की रोकथाम के लिए सरकार को आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराएगा।	लाइसेंसधारक विस्तृत तकनीकी जांच के लिए और निरीक्षण (सामान्य अथवा प्रचालनात्मक) हेतु सरकार द्वारा प्राधिकृत एजेन्सियों की मांग पर गेटवे अर्थ स्टेशन, इन्टरसेप्ट कन्ट्रोल सेन्टर, कम्यूनिकेशन सेवाएं रूटर इत्यादि को पूर्ण अभिगम्यता प्रदान करेगा। लाइसेंसधारक विध्वंसक, तोड़-फोड, जासूसी कार्यो अथवा किसी अन्य गैर कानूनी गतिविधियों की रोकथाम के लिए सरकार को आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराएगा।

485

41.12	प्रयोज्य प्रणाली के माध्यम से पास किये जाने वाले सभी परियात (भारत से किये जाने वाले परियात तथा भारत में समाप्त होने वाले परियात) की निगरानी करने के लिए लाइसेंसधारक जीएमपीसीएस नेटवर्क में पर्याप्त निगरानी सुविधा उपलब्ध करायेगा। इस प्रयोजनार्थ लाइसेंसधारक लाइसेंसदाता द्वारा समय-समय पर यथा निर्देशित प्राधिकृत एजेंसियों से कालों की निगरानी के लिए अपनी लागत से आवश्यक विशिष्टियों और सुविधाओं के साथ-साथ आवश्यक प्रणालियों को संस्थापित करेगा। टारगेट इन्टरसेप्ट लिस्ट (टीआईएल) के अतिरिक्त विशिष्ट भौगोलिक अवस्थिति आधारित अंतरावरोधन का कार्यान्वयन भी संभव होगा यदि प्राधिकृत सुरक्षा एजेन्सियों द्वारा ऐसी इच्छा व्यक्त की जाएगी। कालों की निगरानी का एहसास मोबाइल प्रयोक्ता को चाहे प्रत्यक्ष निगरानी के दौरान। हो अथवा जब निगरानी के लिए काल ग्राउंड की जाए, नहीं होना चाहिए। निगरानी के प्रयोजनार्थ काल की ग्राउंडिंग के लिए कोई प्रभार नहीं वसूला जाएगा। निगरानी गतिविधियों और प्रयुक्त एअरटाइम के संबंध में कोई रिकॉर्ड नहीं रखा जाएगा।	प्रयोज्य प्रणाली के माध्यम से पास किये जाने वाले सभी परियात (भारत से किये जाने वाले परियात तथा भारत में समाप्त होने वाले परियात) की निगरानी करने के लिए लाइसेंसधारक जीएमपीसीएल नेटवर्क में पर्याप्त निगरानी सुविधा उपलब्ध करायेगा। इस प्रयोजनार्थ लाइसेंसधारक लाइसेंसदाता द्वारा समय-समय पर यथा निर्देशित प्राधिकृत एजेंसियों से कालों की निगरानी के लिए अपनी लागत से आवश्यक विशिष्टियों और सुविधाओं के साथ-साथ आवश्यक प्रणालियों को संस्थापित करेगा। टारगेट इन्टरसेप्ट लिस्ट (टीआईएल) के अतिरिक्त विशिष्ट भौगोलिक अवस्थिति आधारित अंतरावरोधन का कार्यान्वयन भी संभव होगा यदि प्राधिकृत सुरक्षा एजेन्सियों द्वारा ऐसी इच्छा व्यक्त की जाएगी। कालों की निगरानी का एहसास मोबाइल प्रयोक्ता का चाहे प्रत्यक्ष निगरानी के दौरान। हो अथवा जब निगरानी के लिए काल ग्राउंड की जाए, नहीं होना चाहिए। निगरानी के प्रयोजनार्थ काल की ग्राउंडिंग के लिए कोई प्रभार नहीं वसूला जाएगा। निगरानी गतिविधियों और प्रयुक्त एअरटाइम के संबंध में कोई रिकॉर्ड नहीं रखा जाएगा।
41.16	भारतीय भू-भाग में गुप्त रूप से लाये गए प्रयोक्ता टर्मिनलों अस्वीकृत (Denied) सेवा होगी। ऐसे प्रयोक्ता टर्मिनलों को नकारने के लिए सेवा लाइसेंसधारक के पास निर्मित क्षमताएं होंगी। कोई प्रयोक्ता टर्मिनल, जो भारत के भीतर के कार्य करने के लिए विधिवत प्राधिकृत न हो, यदि वह भारत में और भारत से काल करने का प्रयास करता है तो अभिगम्यता स्वतः अस्वीकृत कर दी जाएगी और ऐसी घटनाओं को अभिलेखबन्द किया जाएगा और इसके संबंध में सूचना यथाविनिर्दिष्ट लाइसेंसदाता/सुरक्षा एजेन्सियों को उपयुक्त ढंग से भेज दी जाएगी। भ्रमणकारी उपभोक्ताओं के लाइसेंसधारक के ईक्विपमेन्ट आइडेंटिटी रजिस्टर(ईआईआर) पर अपने प्रयोक्ता टर्मिनलों का पंजीकरण करना अपेक्षित होगा। लाइसेंसदाता वायु/स्थल/जल सीमा शुल्क और लाइसेंसधारक के बीच देश में विधिक रूप से	भारतीय भू-भाग में गुप्त रूप से लाये गए प्रयोक्ता टर्मिनलों अस्वीकृत (Denied) सेवा होगी। ऐसे प्रयोक्ता टर्मिनलों की नकारने के लिए की सेवा लाइसेंसधारक के पास निर्मित क्षमताएं होंगी। कोई प्रयोक्ता टर्मिनल, जो भारत के भीतर के कार्य करने के लिए विधिवत प्राधिकृत न हो, यदि वह भारत में और भारत से काल करने का करने का प्रयास करता है तो अभिगम्यता स्वतः अस्वीकृत कर दी जाएगी और ऐसी घटनाओं के अभिलेखबन्द किया जाएगा और इसके संबंध में सूचना यथाविनिर्दिष्ट लाइसेंसदाता/सुरक्षा एजेन्सियों को उपयुक्त ढंग से भेज दी जाएगी। भ्रमणकारी उपभोक्ताओं के लाइसेंसधारक के ईक्विपमेन्ट आइटेटिटी रजिस्टार(ईआईआर) पर अपने प्रयोक्ता टर्मिनलों का पंजीकरण करना अपेक्षित होगा। लाइसेंसदाता वायु/स्थल/जल सीमा शुल्क और लाइसेंसधारक के बीच देश

	लाये गये सभी मोबाइल टर्मिनलों के संबंध में आन-लाइन समन्वयन के लिए नियमित आधार पर सूचना के आदान प्रदान करने हेतु सीमा शुल्क प्राधिकारी के परामर्श से अलग से उपयुक्त प्रशासनिक प्रकियातंत्र अधिसूचित करेगा। इस व्यवस्था से भारतीय भूभाग में सेवा नकारने के लिए गुप्त रूप से लाये गये मोबाइल टर्मिनलों (अन्य देशों में पंजीकृत) की पहचान और पृथक्करण में सुविधा मिलेगी।	में विधिक रूप से लाये गये सभी मोबाइल टर्मिनलों के संबंध में आन-लाइन समन्वयन के लिए नियमित आधार पर सूचना के आदान प्रदान करने हेतु सीमा शुल्क प्राधिकारी के परामर्श से अलग से उपयुक्त प्रशासनिक प्रकियातंत्र अधिसूचित करेगा। इस व्यवस्था से भारतीय भूभाग में सेवा नकारने के लिए गुप्त रूप से लाये गये मोबाइल टर्मिनलों (अन्य देशों में पंजीकृत) की पहचान और पृथक्करण में सुविधा मिलेगी।
41.18	भारत में मोबाइल टर्मिनलों से की जाने वाली अथवा भारत में मोबाइल टर्मिनलों में समाप्त होने वाली सभी कालें भारत में अवस्थित जीएमपीसीएस गेटवे के माध्यम से पास की जाएगी। ऐसी कालें किसी अन्य गेटवे अर्थात् भारत के बाहर अवस्थित गेटवे के माध्यम से नहीं जा पाएंगी। यदि किसी मामले में गेटवे बाईपास किया जा रहा होगा तो वीएसएनएल को इसकी क्षतिपूर्ति देनी होगी। (वीएसएनएल को प्रदान की जानेवाली क्षतिपूर्ति अन्तर्राष्ट्रीय परियात छोरों के संबंध में वीएसएनएल के एकाधिकार के पश्चात् समीक्षा करनी होगी।) सभी अन्तः नेटवर्क कालें दो गेटवे स्विचों अर्थात् एक गेटवे लाइसेंसधारक का होगा और दूसरा वीएसएनएल अथवा सरकारी स्वामित्वाधीन बुनियादी सेवा प्रचालकों(अर्थात् बीएसएनएल/एमटीएनएल) का होगा, के माध्यम से गुजरेंगी) पीएसटीएन में बाहर जाने वाली अथवा समाप्त होने वाली सभी अन्तर्राष्ट्रीय कालें वीएसएनएल गेटवे के माध्यम से गुजरेंगी। पीएसटीएन में सभी राष्ट्रीय कालें बीएसएनएल/एमटीएनएल टीएएक्स स्विचों के माध्यम से भेंजी जाएगी।	भारत में मोबाइल टर्मिनलों से की जाने वाली अथवा भारत में मोबाइल टर्मिनलों में समाप्त होने वाली सभी कालें भारत मे अवस्थित जीएमपीसीएस गेटवे के माध्यम से पास की जाएगी। ऐसी कालें किसी अन्य गेटवे अर्थात् भारत के बाहर अवस्थित गेटवे के माध्यम से नहीं जा पाएंगी। सभी अंतः नेटवर्क कालों दो गेटवे स्विचों अर्थात् एक गेटवे लाइसेंसधारक का होगा और दूसरा लाइसेंसधारक दूरसंचार सेवा प्रदाताओं का होगा, के माध्यम से गुजरेंगी। पीएसटीएन/पीएलएमएन में की जाने वाली सभी अंतर्राष्ट्रीय कालें लाइसेंस प्राप्त अन्तर्राष्ट्रीय लम्बी दूरी के भारत में अवस्थित गेटवे स्विचों के माध्यम से गुजारी जाएंगी। पीएसटीएन/पीएलएमएन से अथवा से की जाने वाली जावक अथवा समाप्त होने वाली सभी राष्ट्रीय कालें लाइसेंसप्राप्त राष्ट्रीय लम्बी दूरी प्रचालक नेटवर्क से माध्यम से गुजारी जाएंगी। घरेलू परियात देश के बाहर किसी भी स्थान को न तो हैण्डिल किया जाएगा न ही भेजा जाएगा।

2. लाइसेंस करार के सभी निबंधन और शर्ते अपरिवर्तित रहेंगी।

(राजवीर शर्मा)
निदेशक (सीएस-I)

प्रतिलिपिः-

1. सचिव, टीआरएआई, नई दिल्ली
2. उपमहानिदेशक(टीईसी)
3. उपमहानिदेशक(एएस/उपमहानिदेशक(डीएस)
4. उपमहानिदेशक(समन्वय), दूरसंचार विभाग- इस अनुरोध के साथ कि वे। इसे बेबसाईट पर प्रकाशित करे।

४८७